राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–18/2026

मंजू देवी बनाम् संगीता कुमारी।

19.11.2026 इस वाद की सुनवाई **दिनांक–18.11.2026** को हुई, जिसमें वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नटराज वर्मा एवं श्री सचिन उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विभूति नारायण उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री शैल दशन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली उपस्थित।

प्रतिवादी के पूर्व विद्वान अधिवक्ता श्री मदनजीत कुमार के स्थान पर विभूति नारायण उपस्थित हुए। आयोग के आदेश के बावजूद उनके द्वारा न तो वकालतनामा दायर किया गया है और न ही जवाब दायर किया गया है, जबकि उनके अनुरोध पर ही वाद की सुनवाई दिनांक–18.11.2026 को निर्धारित की गयी थी। नये विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री मदनजीत कुमार द्वारा दिये गये तर्कों को ही दुहराया गया तथा अनुरोध किया गया कि वाद की सुनवाई C.W.J.C. No. 16190/2026, रंजीत कुमार प्रसाद एवं बिहार अन्य मामलें में निर्धारित सुनवाई की अगली तिथि तक, टाल दिया जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनके अनुरोध का जोड़दार विरोध किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि विगत् सुनवाई में ही यह निर्णय हो चुका है कि अंतरिम आदेश केवल दिनांक–30.09.2026 तक ही प्रभावी था तथा रंजीत कुमार प्रसाद वाद में प्रतिवादी पक्षकार नहीं है। अतः उस वाद का अंतरिम आदेश यहाँ प्रभावी नहीं है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है, आयोग के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील दायर की जा सकती है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आयोग का निर्णय विचाराधीन समादेश याचिकाओं से स्वतः प्रभावित होगा। अतएव बिना स्पष्ट स्थगन के सुनवाई को स्थगित करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा दायर C.W.J.C. No. 10699/2026, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के एकलपीठ द्वारा वाद संख्या–18/2026 को अधिकत्तम 12 सप्ताह में निष्पादित करने का आदेश दिया गया था, जिसकी समय–सीमा समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण उनके द्वारा अवमानना वाद दायर किया गया है।

आयोग द्वारा वादी के तर्क को स्वीकार करते हुए, C.W.J.C. No. 10699/2026, में पारित आदेश एवं दायर अवमानना वाद के आलोक में अंतिम सुनवाई करने का निर्णय लिया गया, परन्तु नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत प्रतिवादी को लिखित जवाब दायर करने तथा उनके अधिवक्ता को वैध वकालतनामा दायर करने का अंतिम अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया। यदि दिये गये समय में प्रतिवादी अपना लिखित जवाब दायर नहीं करती हैं, तो यह समझा जाएगा कि उन्हें वादी द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है, ऐसी स्थिति में स्थापित न्यायिक नियमों एवं प्रक्रिया के तहत उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

प्राधिकृत पदाधिकारी को आयोग के इस आदेश का तामिला दोनों पक्षों को कराने का निदेश दिया गया। तदोपरांत वादी के विद्वान अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा वैधानिक प्रावधानों के तहत अनिवार्य कर्त्तव्यों का उल्लंघन जान–बुझकर किया जा रहा है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी नगर परिषद्, वैशाली की मुख्य पार्षद है। बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–48(1)–सह–पठित धारा–48(2) के तहत प्रत्येक माह में कम–से–कम एक बार सामान्य बोर्ड की बैठक आहूत करने का वैधानिक कर्त्तव्य मुख्य पार्षद का है। उनके द्वारा आजतक उक्त नियम का उल्लंघन कर कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है। अपने दावें की समर्थन में उनके द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, वैशाली के प्रतिवेदन के आधार पर पुनः दावा किया गया कि वैशाली नगर परिषद् की सामान्य बोर्ड की न्यूनतम निर्धारित 38 बैठकों के विरूद्ध मात्र 16 बैठकें आहूत की गयी है।

इसी प्रकार उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि **बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली–2010 के नियम–(3)** के तहत सशक्त स्थायी समिति की न्यूनतम 02 बैठकें आहूत करने की वैधानिक जिम्मेवारी मुख्य पार्षद की है, परन्तु अबतक सशक्त स्थायी समिति की 76 बैठकों के विरूद्ध मात्र 23 बैठकें हीं आहूत की गयी है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, वैशाली के प्रतिवेदन का पुनः अवलोकन आयोग को कराया गया।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उक्त बैठकें अनिवार्य है, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–48(1) में "Mandatory" Term का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार Bihar Municipal Empowered Standing Committee Conduct of Business Rule, 2010 के Rule- 3 में "Shall meet" Term का प्रयोग किया गया है। अतः अनिवार्य रूप से न्यूनतम निर्धारित संख्या में बैठकें आहूत करना नगर परिषद् अध्यक्ष का वैधानिक दायित्व है, क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा–27(A) के तहत मुख्य पार्षद, नगरपालिका के कार्यपालक अध्यक्ष होते है तथा नगरपालिका का प्रशासन उनके पर्यवेक्षण में ही कार्य करता है। अतः उनका वैधानिक दायित्व है कि सामान्य एवं सशक्त बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आहूत करें, जिससे नगर परिषद् का विकास कार्य हो सकें।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) में "Wilful Omission of Duty" का प्रावधान है, जिसकी वैधता की चुनौती को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा स्वीकार किया गया है। उनके द्वारा आयोग

को बताया गया कि अगली सुनवाई के पूर्व निश्चित रूप से वह अपना लिखित जवाब वकालतनामा सहित दायर कर देगें तथा इस आधार पर कोई अतिरिक्त समय की याचना उनके द्वारा नहीं की जायेगी।

दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत आयोग के उपरोक्त लिये गये निर्णय से दोनों पक्षों को अवगत कराने हेतु तथा आयोग के आदेश के अनुपालनार्थ आदेश फलक की प्रति जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली को प्रेषित करने का आदेश कार्यालय को दिया जाता है।

तदनुसार सुनवाई की **अंतिम तिथि–25.11.2026(बुधवार)** को **पूर्वाहन 11:30 बजे** निर्धारित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
19.11.2026

ज्ञापांकः–18/202264525**/** **पटना, दिनांकः–**20.11.26

प्रतिलिपिः–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **वैशाली**/श्री शैल दसन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **वैशाली** को सूचनार्थ एवं आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

20/11/26
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांकः–18/202264525**/** **पटना, दिनांकः–**20.11.26

प्रतिलिपिः–**वादी** श्रीमती मंजू देवी, पति–श्री शिव शंकर दास, (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, नगर परिषद्, हाजीपुर),पता– पूर्वी दीघीकला, पोस्ट–दीघीकला, थाना–हाजीपुर सदर, **जिला–वैशाली** **प्रतिवादी** श्रीमती संगीता कुमारी, वर्तमान मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, हाजीपुर, **जिला–वैशाली** को सूचनार्थ प्रेषित।

20/11/26
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांकः–18/202264525**/** **पटना, दिनांकः–**20.11.26

प्रतिलिपिः–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

20/11/26
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त



इस पत्र के सत्यापन हेतु क्यू.आर (QR) कोड को स्कैन करें।